राजस्व निगरानी कमांक /2017
प्रस्तुती दिनांक / /2017

श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश के समक्ष

R 1239-PBR/17

दशरथ पिता श्री शंभुलाल पाटीदार
उम्र–वयस्क, धंधा–ढाबा संचालन
निवासी–ग्राम सिमलावदा तहसील व जिला रतलाम

....निगरानीकर्ता

विरूध्द

अनुविभागीय अधिकारी,
रतलाम ग्रामीण जिला रतलाम मध्यप्रदेश

....रेस्पान्डेन्ट

राजस्व निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, ग्रामीण रतलाम क्षेत्र उज्जैन संभाग पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा भारती साहब द्वारा प्रकरण कमांक अ–2/2016–17 में नोटिसी आदेश दिनांक 31/03/2017 से असंतुष्ट व दुःखित होकर याचिकाकर्ता द्वारा यह निगरानी निम्न तथा अन्य आधारो पर सादर प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1) यह कि, निगरानीकर्ता के स्वामित्व व आधिपत्य का ढाबा ग्राम सिमलावदा हल्का सिमलावदा के सर्वे नंबर 121/2 पर स्थित है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपनी जमा पूँजी तथा रिश्तेदारो से उधार लेकर अपना व अपने ,परिवार का जीवनयापन करने हेतु दैनिक आजीविका हेतु टीन शेड में अस्थायी रूप से ढाबे का निर्माण किया गया है। जिससे वह निम्नतम दर पर राहगीरो को भोजन व्यवस्था उपलब्ध करवाता है तथा उक्त कार्य से प्राप्त आमदनी का प्रयोग अपने व अपने परिवार के जीवनयापन हेतु करता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक साधन आय अर्जन करने हेतु उपलब्ध नही है। उक्त उल्लेखित भूमि पर वादी अपने पूर्वजो के माध्यम से विगत 10 वर्षो से ढाबे का संचालन कर रहा है तथा समीप स्थित गॉव सिमलावदा में ही अपने जन्म से निवास कर रहा है ।

अनुविभागीय महोदय द्वारा बगैर प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये एकमात्र नोटिसी आदेश दिनांक 31/03/2017 को प्रदान करते हुए निगरानीकर्ता का कब्जा 7 दिवस में हटाने का तथा अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश प्रदान किया गया है। जिससे असंतुष्ट व दुखित होकर निगरानीकर्ता यह निगरानी निम्न तथा अन्य आधारो पर सादर प्रस्तुत करते है –

निगरानी के आधार

1) यह कि, अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विधान तथा प्राकृतिक न्याय के सिध्दांतो के पूर्णतः विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

.............2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1239-पीबीआर/17 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	